संख्या– 63 / XXVII(6) / 2012

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें,
देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून:दिनॉक 27 फरवरी, 2012

विषय:– ई–स्टांपिग को राज्य के कोषागारों में प्रारम्भ कराने हेतु भारतीय स्टेट बैंक में कोषागारों का पृथक खाता खोलने एवं ई–स्टांपिंग की प्रक्रिया तथा लेखांकन के सम्बन्ध में ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–2718 / नि0को0वि0से0 / 21(11) / ई–स्टाम्पिंग / 2011 दिनांक 22 फरवरी 2012, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–801 / XXVII(9) / स्टाम्प 42 / 2008 दिनांक 23–12–2011 में निहित व्यवस्था के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि ई–स्टांपिंग को राज्य कोषागारों में प्रारम्भ कराये जाने हेतु उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित कोषागारों / उपकोषागारों के मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारियों / उपकोषाधिकारियों के नाम से भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में खाता खोले जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

3– उपरोक्त के क्रम में ई–स्टाम्पों के विक्रय के लिये कोषागारों, उपकोषागारों, भारतीय स्टेट बैंक एवं स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड के स्तरों पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं लेखांकन हेतु मानक दिशा–निर्देश संलग्नक के अनुसार निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक यथोक्त।

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

क्रमशः

संख्या– 63 (1)/XXVII(6)/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

2– भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, भायरवाला ऑफिस, बिल्डिंग चौथवीं मंजिल, मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के समाने, भायरवाला मुम्बई–400008 ।

3– भारतीय स्टेट बैंक (सरकारी व्यवसाय), मुख्य शाखा देहरादून।

4– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/उधमसिंहनगर एवं शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक।

6– उपकोषाधिकारी/शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, त्यूनी/मसूरी/ऋषिकेश/विकासनगर/चकराता/हरिद्वार/लक्सर/कालाढूंगी/रामनगर/बेतालघाट/कोसाकूटोली/बाजपुर/गदरपुर / जसपुर/काशीपुर /खटीमा /किच्छा /सितारगंज।

7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम०एम० सेमवाल)
उप सचिव।